

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 246/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक, शास्त्री नगर शाखा, जयपुर, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

- (1) मैसर्स स्वाति आर्ट एण्ड काफ्ट
  - (2) मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल गुप्ता
  - (3) साहिल गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता
- पता- एफ-2, विनय पथ, कान्ति चन्द्र रोड, बनीपार्क, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपरिथत :-

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 10.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में एफ-2, विनयपथ, कान्तिचन्द्र रोड, बनीपार्क, जयपुर स्थित स्टॉक को हाईपोथीकेटेड एवं श्री साहिल गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति वेसमेन्ट संगम सागर अपार्टमेंट प्लान नं. एफ-2( सब डिविजन प्लान नं. एफ-2 एण्ड एफ-2(ए) कान्तिचन्द्र रोड बनीपार्क जयपुर क्षेत्रफल 3030.72 वर्गफिट को बन्धक कर सी सी हाईपोथीकेशन लिमिट के लिए दिनांक 03.02.2010 को 80,00,000/-रूपये एवं टर्म लोन में दिनांक 30.07.2019 को 8,30,000/-रूपये कुल 88,30,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.02.2020 एवं 05.06.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

10/12/20  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 88,30,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 88,88,702.88 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.02.2020 एवं 05.06.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में एफ-2, विनयपथ, कान्तिचन्द्र रोड, बनीपार्क, जयपुर स्थित हाईपोथीकेटेड स्टॉक एवं श्री साहिल गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति बेसमेन्ट संगम सागर अपार्टमेंट प्लॉट नं. एफ-2( सब डिविजन प्लॉट नं. एफ-2 एण्ड एफ-2(ए) कान्तिचन्द्र रोड बनीपार्क जयपुर क्षेत्रफल 3030.72 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 10.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

*(Handwritten Signature)*  
10/12/2020  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर